भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2696

(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर के लिए)

आरक्षण रोस्टर

2696. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एकल पद में भी आरक्षण रोस्टर लागू करने के लिए कोई कदम उठाया है या उठाने का विचार किया है ताकि आरक्षित वर्ग को संस्थाओं/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख के उच्च पद पर सेवा करने का अवसर मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): आर.के.सभरवाल मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 02.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीन संगठनों द्वारा क्रियान्वयन हेतु पद-आधारित आरक्षण रोस्टर के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पद-आधारित आरक्षण रोस्टर यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण, उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा के अनुसार प्रदान किया जाए। डीओपीटी द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को पिछड़े वर्गों हेतु रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में, कम से कम उप सचिव की रैंक के, एक अधिकारी की नियुक्ति करनी अपेक्षित है।

एकल पद संवर्ग में आरक्षण के संबंध में, 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ बनाम फैकल्टी एसोसिएशन एवं अन्य' शीर्षक के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 17.04.1998 के निर्णय के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, टिप्पणी की कि *".....जब तक किसी संवर्ग में पदों की बाहुल्यता ना हो, आरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि एकल पद संवर्ग में किसी भी प्रकार से और रोस्टर के रोटेशन के तरीके से भी आरक्षण का कोई भी प्रयास, जब कभी भी ऐसे आरक्षण को लागू किया जाना है, ऐसे पद के लिए 100% आरक्षण सृजित कर देगा।"* इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एकल पद संवर्ग में कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता है। तदनुसार, एकल पद संवर्ग में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है।

उन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों, जो अपनी स्वयं की योग्यता पर चयनित होते हैं, सहित अनारक्षित सीधी भर्ती की रिक्तियां सभी के लिए खुली हैं।

*****